प्रकरण संख्या 20/2018 मांगीलाल बनाम लोकेश कुमार व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.04.2021	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा भटेवर में आराजी नंबर 1311 मी. रकबा 16 बिस्वा भूमि स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में वादीगण का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 5 का 1/2 हिस्सा दर्ज है एवं पक्षकारान इसी अनुसार काश्त करते चले आ रहे हैं, किन्तु भूमि का विधिवत विभाजन नहीं होने से भूमि के विकास में दिक्कत आती है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी का पक्षकारों के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन किया जावे तथा वादीगण के हिस्से व कब्जे वाली भूमि वादीगण के नाम स्वतंत्र खाते में रखी जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपने निर्णय दिनांक 12.05.2017 से वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 05.02.2018 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 से वकील श्री शरद दशोरा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय डिक्री की जानकारी उन्हें प्रथम बार दिनांक 01.01.2018 को पटवारी के मौके पर आने से हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः अपील [illegible] में शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया। हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अखण्डित शपथ पत्र,	

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.07.08 12:32:50 IST
Reason: SelfAttested

व्यक्त कारणों एवं न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

गुणावगुण पर बहस के दौरान वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है एवं एकपक्षीय निर्णय पारित करते हुए प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी गयी है, जो त्रुटि पूर्ण है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताया तथा अपील सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपीलान्ट को बिना सुने एकपक्षीय निर्णय पारित करते हुए प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी गयी है, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 12.05.2017 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर एवं उनकी साक्ष्य लेकर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित करें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 06.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं अतिरिक्त अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.07.08 12:32:50 IST
Reason: SelfAttested